MR. CHAIRMAN: Shri Arun Sarma. *(Interruption).*

कुमारी सरोज खापर्डे : सर, महाराष्ट्र के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा।

श्री सभापति : उन्होंने कहा, मेरे पास इनफार्मेशन नहीं है, मैं बाद में दूंगा।

DR. ARUN KUMAR SARMA: Mr. Chairman, Sir, my question relates to the difficulties faced by the Government of Assam in the implementation of the IRDP programmes. Because of the difficult terrain, adequate branches of banks are not there. Also, the banks are reluctant to invest in Assam as well as in the other parts of the North-Eastern region. Under such circumstances, the benefits of the programmes have not gone to the rural population, the rural poor especially, for whom they are meant.

The Government of Assam has suggested that the IRDP Bank loan component should be delinked from the subsidy and the amount sould be substituted by the MPs and MLAs' Fund, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Boards, the Autonomous District Councils, NGOs and from other sources so that the beneficiaries could avail themselves of this opportunity. I want to know from the hon. Minister what action has been taken on the proposal of delinking the subsidy from the Bank loan component.

SHRI BABAGOUDA PATIL: Sir, as regards the implementation of our programmes in Assam, I have received many complaints. I am going to hold an inquiry. Already, we have ordered an inquiry in Assam. As regards the subsidy, I do not know the banker's mind-set. They are a little bit reluctant. We held a meeting here, in Delhi, asking them to participate in our programmes, and we are pursuing the matter with the banks concerned. As regards the subsidy, we are going to restructure the programmes and we will see how best the subsidy can be effective.

DR. ARUN KUMAR SARMA: Will the subsidy be delinked from the bank loan component so that other agencies can help the beneficiaries who have otherwise to wait for years together to get loans from the bank?

SHRI BABAGOUDA PATIL: Sir, new programmes are on the anvil. We will consider the suggestion made by the hon. Member.

श्री राघवजी: सभापति जी, यह बड़े दुख और चिन्ता का विषय है कि मध्य प्रदेश में केन्द्र से 780 करोड़ रुपया वर्ष 1997-98 में रिलीज हुआ और उसमें से 517 करोड़ रुपया खर्च ही नहीं हुआ है। माननीय मंत्री जी की यह बात सही है कि उन्होंने पत्र लिखा हुआ है कि संसद सदस्यों को और विधायकों को कमेटी में शामिल किया जाए। लेकिन मैं जानता हूं, मैं उस कमेटी में शामिल नहीं हूं, राज्य सभा के सदस्यों को कई स्थानों पर शामिल नहीं किया गया है, मध्य प्रदेश में खासतौर से शामिल नहीं किया गया है और इसीलिए यह परिणाम निकल रहे हैं कि 517 करोड़ रुपया खर्च नहीं हो पा रहा है। मैंने जिला कलेक्टर को जो योजनाएं भेजी हैं सुनिश्चित रोजगार योजना में शामिल करने के लिए और उस योजना में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके बारे में शिकायतें भेजी हैं, लेकिन एक भी उत्तर मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह स्पष्ट निर्देश भेजेंगे कि राज्य सभा के सदस्यों को भी इन मानीटरिंग कमेटियों में और प्लानिंग कमेटी में शामिल किया जाए, जिला परिषद में शामिल किया जाए जिससे कि यह जो पैसा खर्च नहीं हो रहा है, यह पैसा ठीक प्रकार से खर्च किया जा सके?

SHRI BABAGOUDA PATIL: Sir, already, they have formed 32 district-level Committees. They say they have included the hon. Members also in the Committees. Under the new programme, we are making some provision to consult the hon. Members in planning and implementation of the programmes.

Nuclear casualties

*305. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA:†
SHRI RAGHAVJI:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news report which appeared in the Hindu of 30th December, 1998, under the capition, 'Army gearing up to face nuclear casualties';

(b) if so, whether AMC has devised a three-tier system of training for medical and para-medical personnel for tackling situation

† The question was actually asked on the floor of the House by Prof. Vijay Kumar Malhotra.

arising out of use of nuclear and chemical weapons; and

(c) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

The Army Medical Corps as devised a three tier system of training to medical officers, para medical staff and the Battle Field Nursing Assistants (BFNA) to impart systematic and coordinated training in handling Nuclear Biological and Chemical (NBC) Casualties. The details of this system are:—

(a) **Armed Forces Medical Officers:** The first tier of training comprises of the medical officers who are imparted training at the Armed Forces Medical College, Pune and at Officers' Training School, Lucknow. All medical officers undergoing the Junior Command Course (AFMC Phase) at Pune are imparted training in medical treatment and management of NBC casualties. Three courses—Basic, Junior Command and Senior Command are conducted for the Medical Officers. Specialised, tactical training is also imparted at two special training institutes located at Pune and Bangalore, respectively.

(b) **Junior Commissioned Officers/Other Ranks of AMC:** These personnel, comprising the second tier are trained at AMC Centre and School, Lucknow, Further training is imparted to them at the Command NBC (Medical) Training Cell.

(c) **Battle Field Nursing Assistants (BFNA):** This comprises the thrid tier, the personnel belonging to the fighting arms. They are trained to give first aid to the injured soldiers at the site of occurrence. Training to these personnel is carried out at Command NBC (Medical) training cell established in various Corps Field Ambulances in each Command of the Army.

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति महोदय, हम चाहते हैं कि सारा संसार अणु-शस्त्रों से विहीन हो। इस सदन ने बायोकेमीकल और केमीकल वैपन्स के प्रयोग के संबंध में एक प्रस्ताव भी पास किया था, परन्तु हम यह भी जानते हैं कि अनेक युद्धों में इसका प्रयोग हुआ है और केमीकल वैपन्स और बायोकेमीकल वैपन्स का इस्तेमाल और परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ है। मंत्री महोदय ने उत्तर में बतलाया है कि तीन स्तरों पर इसकी ट्रेनिंग इन केजुअल्टीज के लिए दी जा रही है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह ट्रेनिंग आसपास के और बाकी खतरों को देखते हुए कम नहीं है? क्या इन ट्रेनिंग्स का ज्यादा विस्तार करने का आपका विचार है?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: सभापति महोदय, यह तो एक नई स्थिति निर्मित हुई है जिस पर हमारे सुरक्षा बलों को विचार करना जरूरी हुआ है और विशेषकर थल सेना को और पिछले 12 साल से इस पर प्रशिक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई है। पिछले साल से इसमें कुछ नई गति लाई गई है। माननीय सदस्य ने यह बात कही है कि जो खतरे नजर आते हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए इसमें और अधिक गति देने की आवश्यकता है तो उस दिशा में कदम बढ़ रहे हैं।

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: सर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आर्मड् फोर्सेस, पैरा मिलिट्री फोर्सेस और बैट्ल फिल्ड नर्सिंग असिस्टेंट्स इनमें तो ट्रेनिंग का एक सिस्टम शुरू किया है। परन्तु जब खतरा होता है तब नागरिकों के ऊपर भी इन हथियारों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्या हम सिविल अथोरिटीज के साथ को-आर्डिनेट करके हथियारों से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: सिविल डिफेन्स का मामला रक्षा मंत्रालय के अधीन तो नहीं है लेकिन हम इस बात से सहमत हैं कि दोनों में किसी न किसी प्रकार का सहयोग होता रहना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको याद दिला दूं कि जब भोपाल में गैस ट्रेज्डी हुई थी उस समय भी वहां की सारी कार्यवाही सेना द्वारा अपने हाथ में ली गई थी। जब ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं जहां पर सेना का स्वयं उस काम में हस्तक्षेप करना जरूरी हो जाता है तो वह अपना योगदान देती है। सिविल डिफेन्स में काम करने वालों का और उनके सुरक्षा विभाग का दोनों का विशेष परिस्थितियों में को-आर्डिनेशन होना अनिवार्य हो जाएगा और उसकी तैयारी होनी चाहिए।

श्री राघवजी: मैं माननीय मंत्री जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आणविक शस्त्रों के प्रभाव और उनसे फैलने वाले रोगों के खतरों को देखते हुए उन्होंने इस दिशा में प्रशिक्षण आदि की गति तेज की है किन्तु इसके साथ ही जो उत्तर दिया है उसमें प्रथम स्तर में जो प्रशिक्षण होना है पुणे और लखनऊ में होना है। द्वितीय

स्तर में जो प्रशिक्षण होना है वह दिल्ली और लखनऊ में होना है। मैं जानना चाहता हूं कि देश की विशालता को देखते हुए क्या प्रशिक्षण के लिए केवल दो ही स्थान पर्याप्त हैं? यदि नहीं हैं तो क्या माननीय मंत्री जी दक्षिण भारत या भोपाल में ऐसे और केन्द्र खोलने पर विचार करेंगे?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: प्रशिक्षण के कई केन्द्र हैं। हम इसमें विस्तार करने की कोई जरूरत महसूस नहीं कर रहे हैं। जो केन्द्र हैं उनमें - The first one is the NBC, that is, the Nuclear, Biological and Chemical Protection faculty at the College of Military Training and Military Engineering, Pune. The second one is the Armed Forces Medical College, Pune. The third is the Army Medical Corps Centre and School in Lucknow. The fourth is the Command NBC Medical Centre for each Command, presently located at Udhampur, Bhatinda, Jodhpur, Mathura and Siliguri. The fifth is the Airforce Institute of NBC protection at Bangalore.

DR. KARAN SINGH: Mr. Chairman, Sir, the answer given by the Minister would seem to make it appear as if nuclear weapons were simply a slightly more advanced version of the existing weapons. Sir, the Minister must be aware that nuclear weapons are something unimaginable in their destructive power and this talk of training of AMC nurses and orderlies is really laughable. It may give the impression to the country that with this sort of rudimentary training, we are, in some way, safeguarding the nation against nuclear attack. Nuclear attack is something which can vaporize an entire city. One nuclear bomb exploded over Delhi will kill 50 lakh people. What will these nurses and orderlies do in this situation? Are we not misleading the nation when we give this sort of a reply, and lulling the nation into a sense of complacency?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: सभापति जी, माननीय सदस्य का इस मामले में जो विचार है कि अणुशस्त्र या इस प्रकार के मास डिस्ट्रैक्शन का असर है, विशेषकर अणुशस्त्रों का, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं। लेकिन तीसरे का इन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पचास लाख लोग एक क्षण में खत्म हो जाएंगे। उस प्रकार के अणुशस्त्रों के इस्तेमाल की दुनिया में कोई सोच हो सकती है, ऐसा हम मान सकते हैं। हम लोगों ने अपनी तरफ से एक बात कही थी, जब न्युक्लियर टेस्ट किया था, पिछले साल तो हम इसे डेटेरेंट के तौर पर मान रहे हैं ताकि कभी इसका इस्तेमाल हमारे ऊपर कोई न करे और हम मानते हैं कि दुनिया में आज आणविक शस्त्रों के बारे में इस प्रकार की एक राय है। लेकिन यह इंकार नहीं किया जा सकता कि कभी किसी परिस्थिति में आणविक शस्त्रों का टैक्नीकल वेपन्स के तौर पर भी छोटी लड़ाई के क्षेत्र में इस्तेमाल में लाया जा सकता है नंबर 1, नम्बर-2, केमिकल वेपन्स को या बायोलोजिकल वेपन्स को यह माना गया कि इसके विरोध में एक अभियान भी है, कुछ ट्रीटीज हो गई हैं, हम लोग भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, ये सारी बातें मानते हैं लेकिन इनका इस्तेमाल कब, कौन करेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है, और इसलिए इन अनपेक्षित परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है और हमारा रक्षा मंत्रालय तथा हमारी थल सेना इस काम में लगी हुई है। इसकी आवश्यकता हम महसूस करते हैं।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, I am on the point of nuclear safety. After the Pokhran test, we have nuclear installations under the Defence Ministry, both internally and externally, that is in the Army and outside. My question, through you, Sir, is whether the Defence Ministry is having any independent authority or mechanism to ensure nuclear safety both in the Army and outside. I put a question earlier also and it was said that it had been looked into. I would like to know whether you have any independent authority, a sort of regulatory authority, which will ensure the safety of the nuclear installations, whatever you have right now, under the Ministry of Defence.

श्री जार्ज फर्नान्डीज: सभापति जी, अपने अणु केंद्रों की सुरक्षा पर अपना इंतजाम है इस प्रकार की अथॉरिटी की बात मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उसके लिए जो भी व्यवस्था होनी चाहिए वह व्यवस्था है।

श्री कुलदीप नैयर: मैं मंत्री साहब से पूछना चाहता हूं कि लाहौर डिक्लेरेशन के बाद कुछ ऐसी बातें हुई हैं विटविन इण्डिया एण्ड पाकिस्तान, जिन बातों से यह लगता है कि कभी यह कदम डिस्ट्रक्शन की तरफ भी उठ सकता है, उससे बचाया जाए?

श्री सभापति: यह प्रश्न हो गया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: सभापति जी, हम भी आशा करते हैं कि इस दिशा में ठोस कदम जल्दी ही उठेंगे।

DR. BIPLAB DASGUPTA: Sir, I have also found the answer given by my old friend, Mr.

George Fernandes, somewhat amateurish. The only two ways by which you can avoid a nuclear attack are either by way of a nuclear weapons deterrent system, which we can do and which is very, very costly for a country like India, or, by way of nuclear diplomacy. I think, in this particular case, diplomacy is much less costly and much more productive, from a long-term point of view than deterrent itself. I think the other things, which you have mentioned are amateurish and do not really count for anything. It doesn't show any comprehension on the part of the Minister about the magnitude and scale of the problem involved in a nuclear confrontation.

MR. CHAIRMAN: It is only a suggestion. No answer is required.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Sir, I want to know. ....

MR. CHAIRMAN: Question No. 306.

*306.[*The questioner (Chaudhary Harmohan Singh Yadav) was absent. For answer, vide col. 31 infra.*]

Lives lost due to rash and negligent Driving in Delhi

*307. SHRIMATI VEENA VERMA:†
SHRI AKHILESH DAS:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of human lives lost due to rash and negligent driving on roads in and round the National Capital Territory of Delhi, during 1997, 1998 and so far in 1999;

(b) the number of the accused brought to book and convicted during each year; and

(c) whether Government would bring modifications in the relevant laws to provide for adequate deterrence?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The number of persons killed in road accidents in the National Capital Territory of Delhi during the period in question is as follows:

† The Question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Veena Verma.

	1997	1998	1999 (upto 28.2.99)
No. of persons killed	2342	2123	319

(b) The number of persons who were arrested/convicted in accident cases registered during the period in question is as follows:

	1997	1998	1999 (upto 28.2.99)
No. of persons arrested	7642	6558	870
No. of persons convicted	277	73	01

In addition, the number of persons proceeded against under the Motor Vehicles Act, 1988 in order to instil discipline in the road users during last two years is as follows:

	1997	1998
Total challans	13,19,818	14,38,818
Total compounding fee	Rs. 14,93,92,000	Rs. 16,81,04,050

(c) The proposal to amend the Motor Vehicles Act, 1988 so as to provide for stringent penalties for traffic related offences has been initiated.

श्रीमती वीणा वर्मा: सर मैं मंत्री जी पूछना चाहती हूं कि बहुत लंबे समय से दुर्घटनाएं, रैश ड्राइविंग की वजह से बहुत ज्यादा दिल्ली में बढ़ गई हैं, एक तो बहुत लंबी योजना थी कि पुलिस कर्मियों में ज्यादा बल बढ़ाए जाएंगे और दूसरे यह जानना चाहती हूं कि एक्सीडेंड रोकने के लिए क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं जिससे कि एक्सीडेंड हो ही नहीं?

श्री सभापति: आप जब तक एक्सप्लेनेशन करेंगे तब तक क्वेशचन आवर खत्म हो जाएगा।

श्रीमती वीणा वर्मा: सभापति जी, मैं जानना चाहती हूं कि एक्सीडेंट्स न हो, उसके लिए क्या कर रहे हैं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: सभापति जी, इस समय कानून में जो रेश ड्राइविंग, नेगलिजेंस ड्राइविंग आदि के लिए दण्ड है, वह बहुत ही कम है। वह किसी प्रकार से डिटेरेंट नहीं है। छोटा सा फाइन देकर भी निकल सकता है। ला कमीशन ने पिछले दिनों रिकमेंडेशन की हैं, जो